

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक.....

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 087993

दिनांक



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या

08

पत्रावली संख्या

53283-एम

दिनांक

2009-2010

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है किमाता इमरती देवी नैमोरिवल सोसायटी ऑफ
एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ऑफ रूरल पीपुल, ग्राम-करियाली, पोस्ट-ऊँचागांव, परगना-अहार,
तहसील-स्थाना, जिला-बुलन्दशहर.....को

1033

04.01.2010

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रदिनांक को दिनांक

04.01.2025

..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

.....1800/-.....रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

[Signature]

MANAGER

13.04.2026

MATA MARTI DEVI PUBLIC SCHOOL
KARIYALI (BULANDSHAHR)

जारी करने का दिनांक.....

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

PRINCIPAL

Mata Marti Devi Public School
Kariyali

नोटः

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबन्ध समिति अथवा किसी अन्य सम्बद्ध/असम्बद्ध व्यक्ति के किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।